अकबर मुगल वंश का तीसरा महानतम भारतीय शासक था। इसके दादा (बाबर) ने 1526 ई. में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और साम्राज्य का प्रसार करते हुए आगरा में 26 दिसम्बर, 1530 ई. को उसकी मृत्यु हो गयी। दस वर्ष बाद उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हुमायूँ को बहादुर अफगान शासक शेरशाह द्वारा पराजित हो भारत छोड़ने को विवश होना पड़ा तथा उसने फारस के शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली। शेरशाह की अपने राज्य काल में ही असामयिक मृत्यु हो गयी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा (इस्लाम शाह) और नाती राजगद्दी पर बैठा। हुमायूँ ने फारस के शाह की सहायता से अपनी शक्ति का संगठन करते हुए पुनः अपना साम्राज्य हासिल करने में सफलता प्राप्त की। 1556 ई0 में हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर, सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। किन्तु उन्हें बैरम खाँ, जो मुगल शासन में सेनापति तथा प्रधानमंत्री था, का सुयोग्य संरक्षण प्राप्त हुआ।

अकबर के साम्राज्य का प्रसार काबुल से ढाका और कश्मीर से अहमदनगर तक था। उसके शासनकाल में कलाओं का विकास हुआ। अकबर के समय में विकसित मुगल स्थापत्य शैली शाहजहाँ के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसका पतन औरंगजेब के समय प्रारम्भ हुआ। अपने शासनकाल में

अकबर ने अपने शिल्पकारों व वास्तुविदों की सहायता से बहुत–सी इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर अपने वंश का महान भवन निर्माता था तथा उसके शासनकाल की भवन निर्माण कला के सुप्रसिद्ध नमूने 1571 ई0 में स्थापित उसकी भव्य राजधानी फतेहपुर सीकरी एवं आगरा के किले में स्थित जहाँगीरी महल हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के स्थापत्य–दर्शन एवं वास्तु–संयोजन का विशिष्ट उदाहरण है। यह शैली पूर्ववर्ती तैमूरी, फारसी एवं भारतीय शैली का अद्भूत समन्वय दर्शाती है। इस शैली के भवनों में लाल बलुए पत्थर के प्रचुर प्रयोग से ही विभिन्न शैलियों के प्रमुख तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिली।

मुगलकाल का पहला महत्वपूर्ण भवन दिल्ली स्थित हुमायूँ का मकबरा है। यह अकबर के प्रारम्भिक भवनों में से एक है। यद्यपि इसकी प्रारम्भिक रूप–रेखा हुमायूँ द्वारा तैयार की गई और इसे जहाँगीर द्वारा पूर्ण किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, तातारी जातियाँ और मंगोलियन राजकुमारों की परम्परा रही है कि वे अपने जीवनकाल में अपने लिए मकबरे बनवाते थे। अकबर और जहाँगीर कालीन स्थापत्य में हिन्दू प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है साथ ही, भवन सामान्यतः लाल बलुए पत्थर के बने हैं। शाहजहाँ के

उसने अपने पिता के मकबरे के प्रवेश द्वार को रंगीन संगमरमर तथा अन्य पत्थरों की पच्चीकारी से सज्जित किया। अकबर का मकबरा एक विशाल एवं भव्य बाग के मध्य में स्थित है। मुख्यद्वार से मकबरे तक पहुँचने का मार्ग बाग की चहारदीवारी के चारों ओर स्थित द्वारों से है। मकबरा वर्गाकार योजना में पाँच मंजिला पिरामिड के आकार में बना है। भूतल के मध्य में एक छोटा कक्ष है जिसमें महान

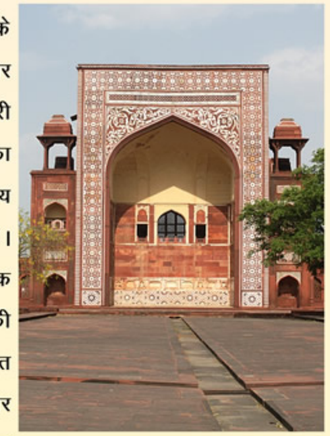

अकबर की सफेद संगमरमर से आवृत सादी एवं सजावटहीन कब्र है, जिसका प्रतिरूप पाँचवी मंजिल पर बना है।

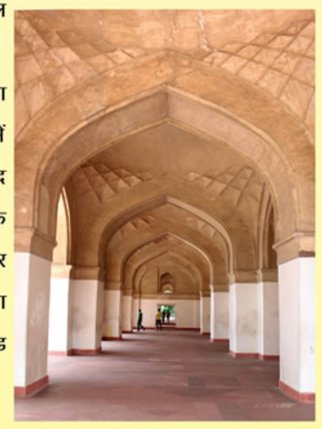

अकबर के मकबरा का प्रतिरूप सबसे ऊपरी तल में मुख्य चबूतरे के मध्य में सफेद संगमरमर का बना है जोकि 6′10″ लम्बा 2′7″ चौड़ा और 3′3″ ऊँचा है। मकबरे पर लगा एकाश्म संगमरमर प्रखण्ड अरबस्क और पुष्प आकृतियों से प्रचुरता से सज्जित है। इनके ऊपर एवं दोनों ओर के लम्बवत प्रस्तर खण्डों पर अल्लाह के 99 नामों की

सूची सुअंकित है। उत्तर एवं दक्षिणी ओर लगे सुंदर नक्काशीयुक्त पट्टिकाओं के भीतर अरबी भाषा में *''अल्लाहु अकबर जल्ला जलालहु''* शब्द अंकित हैं। यह स्मारक रूढ़िगत मुगल वास्तुशैली से भिन्न है। इसका मुख्य कारण मुस्लिम मकबरा वास्तुशैली के आवश्यक तत्व गुम्बद की अनुपस्थिति एवं संगमरमर मण्डप के ऊपर छतरियों का निर्माण है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर स्थित है। यह दो मंजिला द्वार पूर्व से पश्चिम 137′5″ और उत्तर से दक्षिण 99′10″ है। दक्षिणी प्रमुख प्रवेश द्वार लाल बलुए पत्थर से निर्मित व भव्य मेहराब से युक्त है तथा सफेद संगमरमर काले, स्लेट एवं बहुरंगी पत्थरों की पच्चीकारी से अलंकृत है। इनके कोनों पर लालित्यपूर्ण चार मीनारें हैं जिसे देखकर ताजमहल के मीनारों का आभास होता है। इसके दक्षिण के

मध्य भाग में एक ड्योढ़ी है जिसपर चमकीली नीली सतह पर पवित्र कुरान की आयतों का सुनहरा अलंकरण है।

चारबाग पद्धति पर निर्मित उद्यान चार बराबर भागों में मूल सतह के लगभग 1.70 मी0 नीचे स्थित हैं। प्रत्येक भाग में ऊँचे पैदल पथ के मध्य में छिछली नालियाँ हैं। चारबाग किले और परकोटे से घिरा है तथा केवल दक्षिण में बने एक शानदार प्रवेश द्वार की ओर

सिकन्दरा में अकबर के मकबरे के दक्षिण–पश्चिम भाग में काँच महल नाम का स्मारक है जो 17 वीं शताब्दी की मुगल वास्तु शैली का सुन्दर नमूना है। कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण जहाँगीर ने अपनी पत्नी के लिए कराया था। यह दो मंजिली इमारत ईंट, चूना–सुर्खी से निर्मित और लाल तराशे पत्थरों से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। इस संरचना के उत्तरी मुख्य भाग में अनेक पट्ट हैं, जिनमें गढ़े हुए दीवालगीर, विभिन्न ज्यामितीक एवं पुष्पीय नमूने उकेरे गये हैं। चीनी मिट्टी के टाइलों का प्रयोग मुख्यतः खिड़कियों की छत पर किया गया है।

खुला है। अन्य दिशाओं में दीवारों में उसी के अनुरूप दरवाजे की बनावट का आभास दिया गया है । मकबरे के मुख्य कक्ष की दीवार के निचले हिस्से में रंगे जाने व पालिश किये जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं। मकबरे के पूर्वी एवं दक्षिण भागों में अनेक कब्रें हैं। जिनमें अकबर की पुत्री आरामबानू एवं सुखरून्निसा तथा जहाँगीर की पुत्री की कब्रें उल्लेखनीय हैं।

सार्वजनिक सूचना :–

समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में किसी भी मरम्मत/भवन नवीनीकरण/वास्तु संरचना आदि के निर्माण के पूर्व (प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 तथा प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत) सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है।

- संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के न्यूनतम ''प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र'' और ''विनियमित क्षेत्र'' की सीमाएं संरक्षित क्षेत्र से क्रमशः 100 मी. और प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र के आगे 200 मी. निर्धारित की गई हैं।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में किसी सार्वजनिक परियोजना अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून 1992 से पूर्व हुये निर्माणों में भी मरम्मत/जीर्णोद्धार आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
- उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- भारत सरकार द्वारा अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत/निर्माण के लिए अनुमति के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मण्डलायुक्त, आगरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृपया

- स्मारक को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें।
- स्मारक के प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाए रखने में सहयोग दें।
- यदि कोई व्यक्ति स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाता दिखे तो उसे रोकें व सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करें।
- अपनी विरासत की महत्ता को समझते हुए इसकी सुरक्षा हेतु जन संचेतना के प्रचार–प्रसार में सहयोग दें।
- स्मारक की गरिमा को बनाए रखें।
- यह स्मारक एक अमूल्य धरोहर है, इसे सहेज कर गौरवान्वित महसूस करें।

प्रकाशक

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

आगरा मण्डल, 22 माल रोड़, आगरा–282001

दूरभाष सं०. 91-562-2227261 / 63 Fax-91-562-2227262

ई–मेल:- circleagr.asi@gmail.com

वेबसाइट : www.asiagracircle.in

विभागीय वेबसाइट : www.asi.nic.in

© भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण– 2013

अकबर का मकबरा सिकन्दरा

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आगरा मण्डल, आगरा